

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग बाराबंकी।
पत्रांक ११४ / 14-4-4 बाराबंकी, दिनांक, २९/७/२०२२

सेवा में,

प्रबन्धक रिलायन्स जियो
इन्फोकॉम लि० दूसरी मंजिल
रोहतास के०एस० ट्रिड बिल्डिंग राणा प्रताप मार्ग
नियर सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।

विषय:-

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-731 (पुराना एन०एच०-56) लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग किमी० 35-64 के मध्य बारी पटरी तथा जिला मार्ग बाराबंकी (जैदपुर-सदौर-देबीगंज-भितरिया मार्ग) किमी० 33.788 से किमी० 43.788 तक बारी पटरी पर कुल-39.00 किमी० पर आर्टिकल फाइबर केबिल विछाये जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे० संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या:-FP/UP/Others/143114/2021.

सन्दर्भ:-

उ० प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक-पी-179/81-2-2022-800 (185)/2022, दिनांक 28-06-2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-3761/11-सी-FP/UP/Others/143114/2021 दिनांक-30-06-2022 तथा वन संरक्षक सरयू वृत्त उ०प्र० अयोध्या के कार्यालय का पत्रांक-16/14-10 दिनांक 01-07-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, जिसमें विषयगत प्रकरण में उ० प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-28-06-2022 द्वारा निर्गत कर दी गयी है तथा निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-1 से 34 तक की अनुपालन आख्या तथा आवश्यक प्रमाण पत्र/अभिलेख तथा बिन्दु संख्या-4 के कम में सम्बन्धित जिलाधिकारी, द्वारा निर्गत (FRA-2006) वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पाँच-पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निर्धारित प्रपत्र

Conditions No.	Conditions	Status of compliance
----------------	------------	----------------------

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(रुस्तम परवेज)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक, सरयू वृत्त उ०प्र० अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।

(रुस्तम परवेज)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी

दिनेश कुमार/-

आशीष तिवारी

मचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

मया में।

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 26 जून 2022
 विषय- रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-731 (पुराना एन०एच०-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग किमी० 35 से 64 के मध्य बांयी पटरी तथा जिला मार्ग (बाराबंकी-जैदपुर-सिद्धौर-देवीगंज-भिटरिया मार्ग) के किमी० 33.788 से किमी० 43.788 तक बांयी पटरी पर कुल 39.00 किमी० पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/143114/2021)

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3531/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/143114/2021 दिनांक 13.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-731 (पुराना एन०एच०-56) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग किमी० 35 से 64 के मध्य बांयी पटरी तथा जिला मार्ग (बाराबंकी-जैदपुर-सिद्धौर-देवीगंज-भिटरिया मार्ग) के किमी० 33.788 से किमी० 43.788 तक बांयी पटरी पर कुल 39.00 किमी० पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of trees is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No:5-2007-FC dated 05/02/2009.
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
6	The out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7	No labour camps shall be established on the forest land.
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in

P/T

	four of the user agency or the project life, whichever is less.
	the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies.
	Department or person without prior approval of Govt. of India.
	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).
14	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
15	ओ०एफ०सी० केविल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे। रास्तों/किनारों/वर्तमान के
16	ओ०एफ०सी० केविल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करवा होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
18	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
19	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् ग्रामिण का स्वामित्व पूर्व की भांति यथायत्त बना रहेगा।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
24	प्रयोज्य एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या- 543/2007-एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-JA-11(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
26	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के संक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (Shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
28	प्रयोज्य अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोज्य अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
29	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
30	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाuna के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
31	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक

1.	नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
2.	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
3.	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
4.	उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 28-06-2022 12:31:21
Reason Approved

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदर्थ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू वृत्त अयोध्या।
- (3)- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- (4)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बाराबंकी।
- (5)- प्रबन्धक रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 दूसरी मंजिल राणाप्रताप मार्ग नियर सिकन्दरबाग चौराहा लखनऊ।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3761 / 11-सी-FP/UP/Others/143114/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 30, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयू वृत्त, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.08.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, दूसरी मंजिल, रोहतास को०एस० ट्रिड बिल्डिंग, राणाप्रताप मार्ग, नियर, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।